न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी— अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 158/2025 | दायर दिनांक 26.03.2025 | आदेश दिनांक 2026

उनवान

1. लादू पिता नंदा गाडरी निवासी रूपाहेली लांगरों की तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. कजोड़ पिता भैरू गाडरी निवासी रूपाहेली लांगरों की तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. रामचंद्र पिता भैरू गाडरी निवासी रूपाहेली लांगरों की तहसील व जिला भीलवाड़ा।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. जगन्नाथ पिता पोखर गाडरी निवासी रूपाहेली लांगरों की तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. उंकार पिता पोखर गाडरी निवासी रूपाहेली लांगरों की तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. गोपी पिता पोखर गाडरी निवासी रूपाहेली लांगरों की तहसील व जिला भीलवाड़ा।
4. मिठू पिता पोखर गाडरी निवासी रूपाहेली लांगरों की तहसील व जिला भीलवाड़ा।
5. सत्तू पिता हरलाल गाडरी निवासी रूपाहेली लांगरों की तहसील व जिला भीलवाड़ा।
6. बद्री पिता देवचंद गाडरी निवासी रूपाहेली लांगरों की तहसील व जिला भीलवाड़ा।
7. सुखा पिता हजारी निवासी रूपाहेली लांगरों की तहसील व जिला भीलवाड़ा।
8. मदन पिता शंकर गाडरी निवासी रूपाहेली लांगरों की तहसील व जिला भीलवाड़ा।
9. भगवान पिता रूपा गाडरी निवासी रूपाहेली लांगरों की तहसील व जिला भीलवाड़ा।
10. धूकन पिता नारायण गाडरी निवासी रूपाहेली लांगरों की तहसील व जिला भीलवाड़ा।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा।

— विपक्षीगण

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :—

उपस्थितः—

1. **अधिवक्ता प्रार्थी श्री गजेंन्द्र सिंह राणावत उपस्थित।**
2. **विपक्षी संख्या 01 लगायत 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।**
3. **विपक्षी संख्या 11 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।**

—:: आदेश ::—

आदेश दिनांक 19/5/26

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गजेंद्र सिंह राणावत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पेश किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रूपाहेली, पटवार हल्का, रूपाहेली भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा की खाता संख्या 656 में आराजी नम्बर 1721 रकबा 0.1138 हैक्टयर व आराजी नम्बर 1725 रकबा 0.1391 हैक्टयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण पड़ौसी खातेदारान हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 10 की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर राजस्व अभिलेख अनुसार नपती कराई जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहते हैं। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार हैं।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 10 सम्मन बाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 01 लगायत 10 बाद सूचना अनुपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 10 बाद सूचना उपस्थित नहीं होने से विपक्षी संख्या 01 लगायत 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन एवं चिंतन किया गया। संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों व प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

19/5/26
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम रूपाहेली, पटवार हल्का, रूपाहेली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा की खाता संख्या 656 में आराजी नम्बर 1721 रकबा 0.1138 हैक्टयर व आराजी नम्बर 1725 रकबा 0.1391 हैक्टयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व अप्रार्थीगण को सम्यक रूप से सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी की कार्यवाही उभय पक्षकारों की उपस्थिति में सीमाचिन्ह निशानात कायम किये जाने की हद तक है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो भू–प्रबन्ध बन्दोबस्त के नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करें, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। निर्णय की पालनार्थ तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ....19/5....2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नंबर से कम हो।

19/5/26

(अरूण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा